राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत कानपुर नगर एवं आगरा से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 16.10.2014 को सूडा सभागार में अपराहन 04:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2014 को आयोजित हुई। जिसमें परियोजना स्वीकृति समिति के निम्नलिखित सदस्य और सूडा/राष्ट्रीय शहरी आजीविका केन्द्र के ही अधिकारी प्रतिभाग किये :–

1. श्री अविनाश कृष्ण सिंह, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय।
2. श्री अजय स्वरूप श्रीवास्तव, अपर निदेशक, नियोजन विभाग।
3. डा0 अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
4. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
5. श्री कृपा शंकर शुक्ल, अनुसचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री0 ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. श्री सुरेश चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम आगरा।
8. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।

जारी 21/10/14

1. परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम परियोजना निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना **(Scheme for shelter for urban homeless-SUH)**" के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों को सम्बंध में अवगत कराया गया।

2. आगरा नगर में लोहामण्डी जोनल कार्यालय में निम्नवत् शेल्टर होम के निर्माण एवं उच्चीकरण के प्राप्त प्रस्ताव का परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख प्रस्तुतीकरण व विचार हुआः–

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित लागत	विवरण
क) शेल्टर होम का निर्माण	124.36	94.42 लाख निर्माण कार्य हेतु तथा रू0 5.99 लाख की दर से 05 वर्षो के लिए रू0 29.64 लाख संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण व स्वीकृति पर विचार।
ख) शेल्टर होम का अपग्रेडेशन	60.58	रू0 30.64 लाख निर्माण कार्य हेतु तथा रू0 5.99 लाख की दर से 5 वर्षो के लिए रू0 29.94 लाख संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण व स्वीकृति पर विचार।
कुल योग –	184.94	

3. आगरा के उक्त दोनों प्रस्ताव रू0 184.94 लाख के प्रस्तावों को अधिशासी अभियन्ता सूडा द्वारा तकनीकी परीक्षण कर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 125.06 लाख के प्रस्ताव में प्रस्तुत स्टीमेट आदि के विवरण के आधार पर उक्त दोनों आगणनों का गठन PWD SOR के अनुरूप होने की टिप्पणी प्रस्तुत की गयी। उक्त दोनों प्रस्तावित आश्रयों के संचालन व्यवस्था हेतु रू0 05.99 लाख की दर से 5 वर्षों के लिए

रू0 59.88 लाख को सम्मिलित कर रू0 184.94 लाख के स्वीकृति का प्रस्तुतीकरण अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र नगर निगम आगरा द्वारा किया गया।

4. प्रस्तुतीकरण में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दोनों प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अन्तःवासी हेतु 50 वर्गफिट का स्थान के मानक के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

5. प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आश्रय में डॉर्मेट्री का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही साथ विभिन्न सेवाओं से लिंकेज की भी व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। नये आश्रय के निर्माण हेतु 10 माह एवं उच्चीकरण हेतु 8 माह की समयसीमा निर्धारित की गयी है।

6. आश्रयों में प्रस्तावित शौचालय एवं बाथरूम की संख्या के सम्बन्ध में परियोजना स्वीकृति समिति के अध्यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक तल पर 3 शौचालय एवं बाथरूम का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावित आश्रय स्थलों से सटी हुयी भूमि पर 10 सीटेड शौचालयों का निर्माण नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना प्रस्तावित है। जिसके फलस्वरूप शौचालयों की संख्या पर्याप्त हो जायेगी। नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एक शौचालय, एवं विकलांग प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध में परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित आश्रयों में रहने वाले अन्तःवासियों हेतु बाथरूम एवं शौचालयों का निर्माण पर्याप्त संख्या में किया जाये। साथ ही अलग से नगर निगम द्वारा निर्मित किये जाने वाले शौचालयों एवं बाथरूम के निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आश्रय से शौचालयों जाने हेतु सीधा रास्ता हो। अन्तःवासियों को बाथरूम एवं शौचालय के उपयोग हेतु आश्रय से बाहर न जाना पड़े। इस प्रकार कम से कम 5 व्यक्तियों पर एक शौचालय एवं 7–8 व्यक्तियों पर एक बाथरूम का निर्माण अवश्य किया जाये।

7. प्रस्तावित आश्रय में अन्तःवासियों हेतु रखे जाने वाले बेड/तखत एवं सेल्फ पर नम्बर अंकित किये जायेंगे, ताकि जिस नम्बर का बेड/तखत किसी अन्तःवासी को आवंटित किया जाये तो उसी नम्बर का सेल्फ भी उसी अन्तःवासी को आवंटित हो सके।

8. नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि महिलाओं एवं परिवार के लिए अलग से कक्षों का प्राविधान किया जायेगा जिस पर परियोजना स्वीकृति समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि महिलाओं एवं परिवार के लिए अलग से प्राविधान उनकी सुरक्षा एवं प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन में प्रदत्त नियमों के अनुसार ही किया जाये तथा महिला एवं पुरूष अन्तःवासियों हेतु अलग से निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उक्त के साथ ही स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उचित संख्या में भी महिलाओं एवं परिवार के आश्रय का प्राविधान किया जायेगा तथा उक्त का निर्धारण कर मिशन निदेशालय को अनुपालन स्वरूप अवगत कराया जाए।

9. ~~अध्यक्ष महोदय द्वारा~~ निर्देशित किया गया कि महिलाओं एवं पुरूषों के लिए आश्रय में अलग–अलग सामुदायिक किचन का निर्माण उनके रहने के लिए बनाये जाने वाले तलों पर ही किया जाए।

10. आश्रयों के संचालन के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भ में संचालन नगर निगम द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके साथ ही अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं से संचालन हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं, जिसमें लॉयंस क्लब आगरा एवं एक्शन प्वांइट समिति लखनऊ नामक संस्था से बिना लाभ के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पर ~~अध्यक्ष महोदय द्वारा~~ यह निर्देशित किया गया कि अलाभकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन कराया जाना आश्रयों

के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए अधिक उपयोगी होगा इसलिए इस पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार आश्रयों का संचालन अलाभकारी प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कराया जाये।

11. प्रस्तावित उच्चीकरण वाले भवन के सम्बन्ध में ~~अध्यक्ष महोदय द्वारा~~ निर्देशित किया गया कि मुख्य अभियंता के स्तर से नगर निगम द्वारा इस निकाय का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाये कि उच्चीकरण वाले भवन की भूमि की क्षमता एवं बुनियाद में G+2 (भूतल और दो अतिरिक्त तलों) के निर्माण हेतु उप्युक्त है।

12. **परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त आगरा नगर निगम से प्राप्त एक नये आश्रय के निर्माण एवं एक आश्रय के उच्चीकरण निर्माण एवं उसके 5 वर्षों के संचालन हेतु उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–**

1. निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि दो समान किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के 70% अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
2. निर्माण कार्य की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या जिसमें वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, नियमित प्रस्तुत की जायेगी।
3. संचालन व्यवस्था की धनराशि आश्रय निर्माण/उच्चीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रति वर्ष दो किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा।
4. संचालन व्यवस्था का अनुश्रवण प्रत्येक माह करते हुए सही तरीके से संचालन की विस्तृत आख्या शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।
5. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई /नगर निगम द्वारा संचालन व्यवस्था हेतु अवमुक्त धनराशि का 70% का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त संचालन की संतोषजनक आख्या प्रेषित किये जाने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
6. आश्रय के निरन्तर संचालन जारी रखने हेतु निकायों को शीघ्रताशीघ्र रणनीति निर्धारित कर मिशन निदेशालय को प्रमाण पत्र के माध्यम से विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना होगा कि 5 वर्षों के उपरान्त आश्रय का संचालन विधिवत किया जायेगा।
7. परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों को सम्मिलित करते हुए शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा संशोधित डी0पी0आर0 सुसंगत तकनीकी डिजाइन लेआउट एवं इस्टीमेट विवरण सहित सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित कराकर दो प्रतियों (हार्ड एवं सॉफ्ट) में मिशन निदेशालय को प्रथम किश्त अवमुक्त से पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद / निकाय	प्रस्तावित आश्रय का प्रकार	प्रस्तावित आश्रय के आश्रयहीन व्यक्तियों की संख्या	निर्माण अवधि	निर्माण / उच्चीकरण की लागत	संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि		कुल धनराशि (निर्माण + संचालन)	निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने वाली 50% धनराशि	वार्षिक संचालन व्यवस्था हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने वाली 50% धनराशि
						1 वर्ष हेतु	5 वर्ष हेतु			
1	आगरा	उच्चीकरण	50	08 माह	30.64	5.99	29.94	60.58	15.32	2.994*
2	आगरा	नया निर्माण	75	10 माह	94.42	5.99	29.94	124.36	47.21	2.994*

* संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण कर प्रमाण पत्र मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त वार्षिक आधार पर दो समान किश्तों मे अवमुक्त की जायेगी।

****

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक– 2508/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक– 21/10/14

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन एन0यू0एल0एम0 को उक्तानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा–आगरा।
12. डा0 अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
13. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
14. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
15. श्री सुरेश चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम आगरा।
16. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, आगरा।
17. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
18. वेब मास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक